तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	लक्ष्मणाराम बनाम [illegible] वगै दावा मु.नं. 145/2021	
2-2-2022	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 03-03-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
03-03-2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 30-03-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
30.03.2022	पत्रावली आज निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वाद पत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.04.01 17:22:16 IST Reason: Self Attested 30/03/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
145/2021	2021/352	21.12.2021	30.03.2022

उनवान प्रकरण

1. लक्ष्मणराम पुत्र रामेश्वरलाल, जाति कुमावत उम्र–63 साल, निवासी शिवराम का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

वादी

बनाम

1. बंशीधर पुत्र रामेश्वरलाल उम्र–70 साल
2. दुर्गा देवी पत्नी स्व0 पूरण पुत्रवधु रामेश्वरलाल उम्र–50 साल,
3. दिलीप उम्र–25 साल पुत्र स्व0 पूरण पौत्र रामेश्वरलाल
4. जितेश उम्र–19 साल पुत्र स्व0 पूरण पौत्र रामेश्वरलाल
5. ममता पुत्री उम्र–20 साल पुत्री स्व0 पूरण पौत्र रामेश्वरलाल
6. सुवा देवी उम्र–68 साल पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल
7. गोदी देवी उम्र–47 साल पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल

जाति समस्त कुमावत निवासी शिवराम का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

8. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

श्री सुदेश सामोता, वादी अभिभाषक।

श्री जगदीश प्रसाद गूर्जर, प्रतिवादीगण नं. 1 से 7 अभिभाषक

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 8

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:16 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादपत्र बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम शिवराम का बास पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 801/1410, 864, 864/1413, 865 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9000 हैक्टर में हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता–ससुर–दादा स्व0 रामेश्वर पुत्र हणमान के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 आपस में एक ही परिवार खानदान से है एंव मृत्तक रामेश्वर पुत्र हणमान के वारिसान है जो सजरा खानदान में वर्णित है। उक्त सजरा खानदान अनुसार मृत्तक रामेश्वर पुत्र हणमान के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 पक्षकारान् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की पैत्रृक कृषि भूमियॉ है। जिसके 1/3 हिस्सा पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है एंव 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त चला आ रहा है एंव 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादिया संख्या 6 व 7 स्व0 रामेश्वर पुत्र हणमान की पुत्रीयॉ है जो शादी शुदा होकर स्थायी रूप से ससुराल रह रही है। इसलिए हिस्सानुसार वादी की भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है एंव प्रतिवादीगण को वादी की पैत्रृक हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे एंव दिनांक 20.11.2021 को इन्कार हो गये एंव वादी की पैत्रृक हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी है। इसलिए दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। [illegible] की ओर से श्री जगदीश प्रसाद गूर्जर एड0 ने उपस्थित होकर वादी के पक्ष में [illegible]01.2022 को राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी सं. 08 की तामील असाल[illegible] हो जाने के बावजूद हाजिर

10/03/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:16 IST
Reason: SelfAttested

अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी स्वंय का व वादी गवाह में शंकरलाल व मोहनलाल के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुये। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा लिये जाने से वकील वादी ने प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ वादी व प्रतिवादीगण के मृत्तक पिता–दादा–ससुर स्व0 रामेश्वर पुत्र हणमान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 आपस में एक ही परिवार से है तथा मृत्तक रामेश्वर पुत्र हणमान के वारिसान् पुत्र–पुत्री–पौत्रगण–पौत्रीगण ही है। जो प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम शिवराम का बास पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 801/1410, 864, 864/1413, 865 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9000 हैक्टर में हिस्सा 1/2 की खातेदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता–ससुर–दादा स्व0 रामेश्वर पुत्र हणमान का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर खातेदारी हिस्सानुसार वादी के नाम 1/6 एंव प्रतिबादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/6 एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम हिस्सा 1/6 की बहिस्सा बराबर–बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाने तथा अन्य सह खातेदार की खातेदारी बदस्तूर रखी जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम शिवराम का बास पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर

30/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

801/1410, 864, 864/1413, 865 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9000 हैक्टर में हिस्सा 1/2 की खातेदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता–ससुर–दादा स्व0 रामेश्वर पुत्र हणमान का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर खातेदारी हिस्सानुसार वादी के नाम 1/6 एंव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/6 एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम हिस्सा 1/6 की बहिस्सा बराबर–बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाने तथा अन्य सह खातेदार की खातेदारी बदस्तूर राजस्व रिकार्ड में रखे जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जादे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Rathore 30/03/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:16 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 30/03/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)